न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 66/2020
ऑनलाईन नम्बर 2020/00128
निर्णय दिनांक 25.02.2022

1.शिव कुमार पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2.मूलचन्द पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1.दानाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2..राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ।

3.बैक ऑफ बड़ौदा शाखा सूडसर जरिये बैक मैनेजर।

4.भवरीदेवी पत्नी दानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

5.उषा पुत्री दानाराम जाति निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
6.सुमन पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
7.राजकुमारी पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री भरतसिंह राठौड़ अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 4 ता 7

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

यह वाद शिवकुमार आदि ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि ग्राम देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के खसरा नं. 707/390 की तादादी 3.68 हैक्टेयर खसरा नं.709/265 की तादादी 5.98 हैक्टेयर, खसरा नं. 771/711 की तादादी 0.4860 हैक्टेयर खसरा नंबर 772/711 की तादादी 0.0340 हैक्टैयर कुल किता 4 की कुल तादादी 10.18 हैक्टैयर व खसरा नंबर 708/390 की तादादी 3.63 हैक्टेयर पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिस प वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 का सयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सा पर कब्जा चला आ रह है। यह कि उक्त वादगत भूमि वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता भगवानराम पु उदाराम के नाम उदाराम के नाम से भूमि ग्राम देराजसर के खेत खसरा सं. 486/90 मिन व तादादी 30 बीघा 4 बिस्वा खसरा सं. 153 की तादादी 45 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं. 244 व तादादी 29 बीघा 2 बिस्वा खसरा सं. 382 की तादादी 39 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 4 तादाद 144 बीघा खातेदारी कृषि भूमि रही है जिसका सबूत जमांबदी संवत 2045 से 2048 वाद प के साथ संलग्न है। उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि वादीगण के दादा भगवानाराम से पूर्व उनके पित उदा पुत्र बुधर की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नं. 270 की तादादी 51 बीघा 14 बिस्व खसरा नंबर 293 की 410 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 तादादी 92 बीघा 9 बिस्वा खातेदा भूमि रही हे जिसका सबूत जमाबंदी संवत 2012 मे अंकन जो वाद पत्र के साथ संलग्न है उदा पुत्र बुधर के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान मानाराम भगवानाराम व नाम से नामान्तरण सं. 84 जमाबंदी संवत 2013–2016, 2026 वाद पत्र के साथ संलग्न है उक्त वादगत भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की [illegible] की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का बाई बर्थ हक व[illegible] है। [illegible] की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड मे वादीगण का नाम दर्ज होना चा[illegible] था मगर प्रतिवादी सं. 1 ने बड़ी चालाकी से अपने अकेले के नाम से रिकार्ड में नाम [illegible]न करवा लिया जबकि वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बाई बर्थ हक व हिस्सा होने के कारण उनका भी रिकार्ड मे नाम अंकन होना चाहिए था। यह कि भगवानाराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तरण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना चाहिए था मगर बिना किसी तथ्यो का जांच किये हुए अकेले प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे नामाकरण दर्ज हो गया जो कि नल एण्ड वोईड है। यह कि वादगत भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त वादगत संपति में शुरू से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा दोनो संयुक्त रूप से 1/3, 1/3 बराबर बराबर के मालिक एवं काबिज काश्तकार है चुकि वादीगण का उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि मे 1/3,1/3 का अविभाजित संयुक्त पैतृक हिस्सा है जिसको प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आप अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरण दर्ज हो गया है जिसके संबध मे एक साथ तहसील मे चलकर हमारे नाम से करवा लेते है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 बार बार यह कहकर टालते रहे है कि कभी भी जाकर करवा लेगें । यह कि दिनांक 10.09.2020 का सुबह 9.00 वादीगण अपनी उक्त वादगत संपति मे बैठे थे तब प्रतिवादी सं. 1 के साथ 2–3 अन्य अंजान व्यक्ति आये और प्रतिवादी सं. 1 कहने लगा कि ये वे संपति है जिसको मै आपको बेच दूगा तब वादीगण ने कहा कि आप संयुक्त खातेदारी खाते भूमि को ऐसे कैसे बेच सकते हो। वादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में 1/3,1/3 हिस्सा है जिस पर वादीगण ने मौके पर ढाणी बनाकर फसल काश्त कर रखी है । तब प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के साथ झगडा करने पर उतारू हो गये और वादीगण के हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की धमकी दी । यही कारण वाद पेश करने का रहा है तथा दिनांक 10.09.2020 को वादीगण का प्रतिवादीगण के खिलाफ कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त हुआ है। यह कि वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए घोषाणात्मक एवं खाता विभाजन करवाकर उक्त वादगत भूमि मे से अपना 1/3,1/3 हिस्सा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती दर्ज करवावे। यह कि वादीगण को जमांबदी में दर्ज खसरा नं. 707/390 की तादादी 3.68 हैक्टयर खसरा नं. 709/265 की तादादी 5.98 हैक्टेयर खसरा नंबर 771/711 की तादादी 0.4860 हैक्टेयर खसरा नंबर 772/711 की तादादी 0.0340 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल तादादी 10.18 हैक्टेयर व खसरा नंबर 708/390 की तादादी 3.68 हैक्टेयर मेसे 1/3,1/3 हिस्से खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा राजस्व रिकार्ड मे खाता विभाजन करवाकर दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। यह कि राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। यह कि प्रतिवादी सं. 3 बैक ऑफ बडौदा शाखा सुडसर के यहां उक्त वादगत संपति रहन है इस कारण इसे पक्षकार बनाया गया है। हाजा न्यायालय अनुतोष मे वादगत संपति जो वादीगण के हिस्से मे आती है उनका राजस्व रिकार्ड में अंकन वादीगण के नाम से दर्ज करवाने के आदेश फरमाते है तो वादगत संपति का रहन वादीगण के नाम से दर्ज किया जाता हैतो इसकी अदायगी की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने अपने हिस्से के अनुसार वादीगण की होगी व रहेगी इसी हद तक प्रतिवादी सं. 3 को पक्षकार बनाया गया है अलग से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। यह कि मामला अर्जेन्ट नेचर का है अगर प्रतिवादीगण को 2 माह का नोटिस दिया जाता है तो प्रतिवादीगण अपनी उक्त भूमि को विक्रय करके वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है इसलिए 80 सी.पी.सी. का नोटिस मे 80 (2) का प्रार्थना पद वाद के साथ प्रस्तुत है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद पत्र निम्नाकिंत दावा डिक्री फरमाया जावें।

1. यह कि भूमि ग्राम देराजसर के खसरा नम्बर 707/390 की तादादी 3.68 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 709/265 की तादादी 5.98 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771/711 की तादादी 0.4860 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772/711 की तादादी 0.0340 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल तादादी 10.18 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 708/390 की तादादी 3.63 हैक्टेयर में से वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

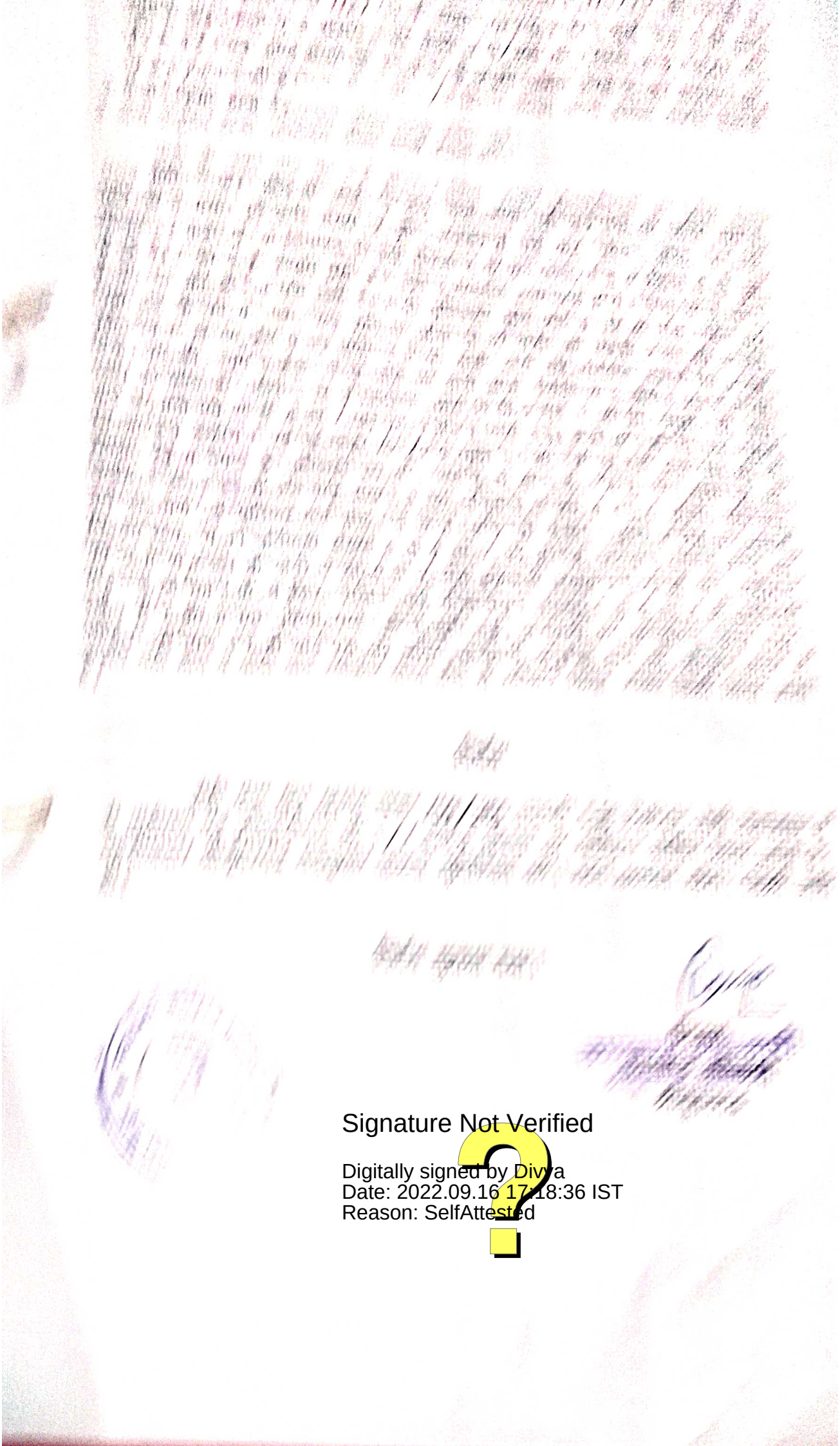

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested